एम. रथिनस्वामी और अन्य

बनाम

तमिलनाडु राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 2251/2009)

8 अप्रैल, 2009

[आर.वी. रवींद्रन और मार्कंडेय काटजू, जेजे.]

तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम- पदोन्नति-उप-तहसीलदार का पद-अधिमान्य पदोन्नति पाने वाले पर सीधे भर्ती किए गए सहायकों को उपचार नियम के तहत सहायक-सीधे भर्तियों को ऊपर रखा जाएगापांच वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पदोन्नति सहायक सेवा की वैधता-निर्णीत- दोनों ने सीधे सहायकों की भर्ती की और पदोन्नति सहायकों को एक संवर्ग में एकीकृत किया जाता है सहायक कई पदोन्नति सहायक स्नातक थे यास्नातकोत्तर-उन्होंने लंबे समय तक सहायक के संवर्ग में एक ही तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। विवादित नियम को पढ़ा जाना चाहिए-नियमों की वैधतापदोन्नत सहायकों पर सहायक जो गैर-स्नातक हैं बरकरार रखा जाता है-हालाँकि, यह उन पदोन्नतियों पर लागू नहीं होता है जो स्नातक हैं-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 16 - क़ानूनों की व्याख्या।

वह प्रश्न जो इसमें विचार के लिए उठाया गया था अपील, संशोधित की वैधता के संबंध में थी तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम जिनके द्वारा सीधे भर्ती किए गए सहायकों को वरीयता दी गईउन्हें वरिष्ठ पदोन्नति से ऊपर रखकर उपचार करें सहायक और उन्हें पदोन्नति के लिए पात्र बनाना पांच साल की सेवा पूरी करने पर उप-तहसीलदार सहायक के रूप में।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निर्णीत किया -

1. तमिलनाडु राजस्व की वैधता अधीनस्थ सेवा नियम इस हद तक कि यह प्रदान करता है सीधे भर्ती किए गए सहायकों को वरीयता पदोन्नत सहायक जो गैर-स्नातक हैं, उन्हें बरकरार रखा जाता है लेकिन पदोन्नत करने वालों के लिए लागू नहीं है जो स्नातक हैं।[पैरा 31] [644-डी]

2.1 यह सर्वविदित है कि किसी वैधानिक प्रावधान को असंवैधानिकता के दोष से बचाने के लिए कभी-कभी क़ानून की प्रतिबंधित या विस्तारित व्याख्या देनी पड़ती है।ऐसा इसलिए है क्योंकि यह व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी क़ानून को असंवैधानिक होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।यदि एक व्याख्या करने पर क़ानून असंवैधानिक हो जाता है और दूसरी व्याख्या करने पर वह संवैधानिक हो जाता है, तो न्यायालय को बाद वाली व्याख्या को इस

आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए कि विधानमंडल का इरादा अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने का नहीं है। कभी-कभी संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए वैधानिक प्रावधान को पढ़ना पड़ता है।[पैरा 28 और 29] [643-सी, डी; 643-ई]

2.2 जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पदोन्नत लोगों को भी सीधे भर्ती किए गए लोगों के समान अनुभव प्राप्त हुआ है, और वास्तव में सीधे भर्ती किए गए लोगों की तुलना में पदोन्नत लोगों के पास आमतौर पर अधिक लंबा अनुभव होता है। इसलिए यह पदोन्नतियों के खिलाफ भेदभाव का वैध आधार नहीं हो सकता।[पैरा 18] [639-सी]

2.3 वास्तव में पदोन्नत लोगों में से कई कनिष्ठ सहायक के रूप में शामिल होने के बाद भी स्नातक या स्नातकोत्तर थे, और कुछ कनिष्ठ सहायक के रूप में शामिल होनेके बाद स्नातक या स्नातकोत्तर बन गए। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन स्नातकों/स्नातकोत्तरों को सीधी भर्ती वाले लोगों की तुलना में समानता का व्यवहार देने से इनकार करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।हम इस तर्क से सहमत हैं.यदि पदोन्नत सहायक भी स्नातक है तो उसके खिलाफ भेदभाव का कोई वैध आधार नहीं है, और उसे सीधे भर्ती किए गए सहायक के बराबर माना जाना चाहिए। सीधी भर्ती से आने वालों को प्राथमिकता देने के लिए कोई तर्कसंगत

आधार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा मांगे गए भेद का मूल आधार यह है कि सीधी भर्ती वाले स्नातक हैं और इसलिए बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हैं। गैर स्नातकों के लिए.इसलिए हमें संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होने से बचाने के लिए विवादित नियम को पढ़ना होगा। [पैरा 19, 21, 22 और 27] [639 - डी, ई; 643-बी; 640-सी]

2.4 सीधे भर्ती किए गए सहायकों और पदोन्नत सहायकों दोनों को सहायकों के एक कैडर में एकीकृत किया गया है।इसमें कोई संदेह नहीं है, पदोन्नति के लिए आगे के वर्गीकरण के लिए इस एकीकरण के बाद भी उच्च शैक्षणिक योग्यता संभवतः एक तर्कसंगत आधार हो सकती है, लेकिन हमारी राय में निश्चित रूप से सीधे भर्ती किए गए और उन पदोन्नत सहायकों के बीच कोई और वर्गीकरण नहीं हो सकता है, जिन्होंने स्नातक योग्यता हासिल की है, चाहे वह शामिल होने से पहले हो। कनिष्ठ सहायक या उसके बाद।एक बार जब कोई पदोन्नत व्यक्ति स्नातक हो जाता है तो हम सीधे भर्ती किए गए लोगों की तुलना में उसके खिलाफ भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार नहीं देख पाते हैं। [पैरा 25] [641-एच; 642-ए, बी]

2.5 गैर-स्नातक पदोन्नत सहायकों के संबंध में, हमारी राय है कि आम तौर पर यह राज्य सरकार को तय करना है कि क्या उनकी योग्यता का पदोन्नति पद के साथ जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति के

साथ उचित संबंध है या नहीं।नायब तहसीलदार.यह सच है कि जैसा कि रूप चंद अदलखा के मामले (सुप्रा) में देखा गया है, ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां शैक्षणिक योग्यता में अंतर एक वर्ग के उम्मीदवारों को दूसरे के मुकाबले कोई अधिमान्य उपचार देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, और क्या वर्गीकरण इसलिए, यह उचित है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और प्रासंगिक समय पर प्राप्त परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए।हालाँकि, यह सवाल कि क्या शैक्षिक योग्यता में अंतर एक वर्ग के उम्मीदवारों को दूसरे के मुकाबले अधिमान्य उपचार देने के लिए पर्याप्त है, हमारी राय में इसे निर्णय लेने के लिए आमतौर पर कार्यकारी अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कार्यकारी अधिकारियों के पास प्रशासनिक मामलों में विशेषज्ञता है, और इस न्यायालय के लिए उनके निर्णयों पर अपील करना आम तौर पर उचित नहीं है जब तक कि यह पूरी तरह से मनमाना या चौंकाने वाला न हो। क्या स्नातक की डिग्री गैर-स्नातकों की तुलना में पदोन्नति के लिए वर्गीकरण के लिए पर्याप्त आधार है, और क्या इस तरह के वर्गीकरण का उप-तहसीलदार के कर्तव्यों की प्रकृति से तर्कसंगत संबंध है, हमारी राय में, राज्य सरकार को निर्णय लेना है, और कोर्ट नहीं इसलिए , हम विवादित नियम की वैधता को इस हद तक बरकरार रखते हैं कि यह सीधे भर्ती किए गए सहायकों को गैर-स्नातक पदोन्नत सहायकों की तुलना में प्राथमिकता देता है।[पैरा 26] [642-डी-जी]

रूप चंद अदलखा और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 307 पर भरोसा किया गया।

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य, ए. आई. आर. 1974 एस.सी. 1; मोहम्मद शुजात अली और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1631; पुनः हिन्दू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम ए.आई.आर. 1945 एफ.सी. 28 औरकेदेमनथ बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 955, संदर्भित।

न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा क़ानूनों की व्याख्या 7 वीं संस्करण 1999 पीपी 414-417, संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ए.आई.आर 1974 एससी 1	संदर्भित किया गया	पैरा 23
ए.आई.आर 1974 एससी 1631	संदर्भित किया गया	पैरा 23
ए.आई.आर 1989 एससी 307	भरोसा जताया गया	पैरा 24
ए.आई.आर 1945 एफ सी 28	संदर्भित किया गया	पैरा 29
ए.आई.आर 1962 एससी 955	संदर्भित किया गया	पैरा 29

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 2251/2009।

मद्रास उच्च न्यायालय के 2003 लिखित याचिका संख्या 27173 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 10.9.2005 से।

के साथ

सिविल अपील सं. 2252/2009

पी.पी. राव, नलिनी चिदंबरम, वी. बालचंद्रन, सुनीता, ओझा और विकास मेहता - अपीलार्थियों के लिए।

एम.एन.राव, ए. मारियारपुथम, ए.वी.रंगम, बडी-ए रंगनाथन, ए. सुभाशिनी, आर. नेदुमारन, पी. सोमसुंदरम और एल.के. पांडे उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा दिया गया था

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय की क्रमशः 2003 की रिट याचिका संख्या 27173 और 2008 की 5022 में दिनांक 10.9.2005 और 27.02.2008 के आक्षेपित निर्णयों के खिलाफ दायर की गई हैं।

3. चूंकि इन दोनों अपीलों में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न

शामिल हैं, इसलिए इनका निपटारा एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

4. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

5. अपीलकर्ता तमिलनाडु मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों द्वारा शासित पदोन्नत सहायक हैं, जिन्हें तमिलनाडु राज्य में राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद से पदोन्नत किया गया है।तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि कनिष्ठ सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एसएसएलसी थी, लेकिन यह आरोप लगाया गया है कि कनिष्ठ सहायक के पद पर चयन के समय भी, अधिकांश अपीलकर्ता स्नातक या स्नातकोत्तर थे, और कई ने बाद में सेवा में रहते हुए स्नातक की पढ़ाई पूरी की।

6. सहायक पद पर नियुक्ति के लिए कनिष्ठ सहायकों में से पदोन्नति हो सकती है, और आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती भी हो सकती है।सीधे भर्ती किए गए सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है।

7. सहायकों के लिए पदोन्नति उप-तहसीलदार के पद पर होती है, जो तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों द्वारा शासित होती है।नायब

तहसीलदार के रूप में पदोन्नत होने पर एक सहायक को मंत्रालयिक सेवा से राजस्व अधीनस्थ सेवा में स्थानांतरित किया जाता है।

8. पदोन्नत सहायकों, यानी सहायकों को, जिन्हें कनिष्ठ सहायकों के पद से पदोन्नत किया गया था और वे सीधे भर्ती नहीं किए गए थे, उन्होंने 1992 का ओए नंबर 5710 दायर किया और तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चेन्नई के समक्ष जीओएम को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए याचिकाएं दायर कीं।क्रमांक 884, राजस्व विभाग, तमिलनाडु सरकार दिनांक 12.8.1992 और परिणामी जीओएम।क्रमांक 133, राजस्व विभाग दिनांक 7.2.1995.1992 के जीओ में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि योग्य सीधी भर्ती सहायकों को पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद उप-तहसीलदार के रूप में पदोन्नति के लिए सूची में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है और सूची में शीर्ष पर, रिक्तियों के नीचे रखा जा सकता है। और पदोन्नतसहायकों से ऊपर। 1995 के जीओ द्वारा तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किया गया था।

9. आक्षेपित जीओ 133 राजस्व दिनांक 7.2.1995 को तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों के अनुबंध III आइटम (ii) में संशोधन करते हुए दो प्रावधानों को पेश किया गया था, जिसके द्वारा सीधे भर्ती किए गए सहायकों को उप-तहसीलदारों के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र बनाकर

अधिमान्य उपचार दिया गया था। सहायकों के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें वरिष्ठ पदोन्नत सहायकों से ऊपर रखा जाएगा।

10. तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों में अनुबंध III आइटम (ii), संशोधन से पहले और बाद में इस प्रकार है:

संशोधन से पहले: दिनांक 7.2.1995	संशोधन के बाद: दिनाक 7.2.1995.
बशर्ते कि एक सहायक यह भी प्रदान किया गया कि एक सहायक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त राजस्व बोर्ड का कार्यालय, पूर्ववर्ती बोर्ड का कार्यालय अपने राजस्व को शामिल करने के लिए पात्र होगा, जिसने कुल पूरा कर लिया है पांच वर्ष की उपसेवा की अनुमोदित सूची में नाम, सभी उत्तीर्ण मद्रास शहर के लिए तहसीलदारों द्वारा परीक्षण निर्धारित और किए गए फिरका राजस्व निरीक्षक के रूप में 2 साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रतिस्पर्धी आधार पर	पांच साल की कुल सेवा में, यदि उसने दो साल की अवधि के दौरान सभी निर्धारित परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है, तो वह मद्रास के दो साल के लिए उप राजस्व निरीक्षकों की अनुमोदित सूची में फिरका नाम के रूप में अपना नाम शामिल करने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। उसके ऊपर का शहर सफलतापूर्वक और अन्यथा वरिष्ठों के अलावा अन्य योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।सीधी भर्ती के लिए या ऐसे वरिष्ठों पर उनकी वरिष्ठता के पुन: निर्धारण के लिए, यदि उनका नाम पहले से ही

	उप-तहसीलदारों की सूची में शामिल किया गया हो।उनके दावे पर विचार आगे की रिक्तियों के बाद आने वाली पहली रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा। जिला राजस्व इकाई में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक के संबंध में भी ऐसा ही प्रावधान जोड़ा गया है।

11. अपीलकर्ता की विद्वान वकील श्रीमती नलिनी चिदम्बरम द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित संशोधन ने उप-तहसीलदारों के रूप में पदोन्नति के लिए पदोन्नत सहायकों के निहित अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।विद्वान परामर्शदाता द्वारा दिए गए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

> -कोयंबटूर जिले में, वर्ष 1991 के लिए पदोन्नत सहायकों की सूची से संबंधित निम्नलिखित सहायक अभी भी बिना किसी गलती के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
>
> (1) आर. सरस्वती (2) वी. पर्वतम (3) सी. मनोहरन (4) आर. सुब्रमण्यम (5) टी. सिवाजोथी (6) वी. प्रेमा सुंदरी (7) एस. सुब्रमण्यम (8) वी. नरसिम्हन (9)) डी. धनपाल (10) के. थंगावेलु (11) एस. रथिना (12) एस.रथिनास्वामी (13) डी. लियोन पीटर।

दूसरी ओर, शिवसुब्रमण्यम नामक एक सीधी भर्ती सहायक, जिसका नाम कोयंबटूर जिले के वर्ष 2004 के लिए सहायकों की सूची में शामिल किया गया था, को वर्ष 2008 के लिए जिले के उप तहसीलदारों की सूची में शामिल किया गया है और वह है नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत।

- मदुरै जिले में, वर्ष 1984 के लिए पदोन्नत सहायकों की सूची से संबंधित याचिकाकर्ताओं में से एक एम. कालीमुथु को वर्ष 2004 के लिए उप-तहसीलदारों की सूची क्रमांक 5 में शामिल किया गया था।

वह बीस वर्षों से नायब तहसीलदारों के पैनल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वर्ष 1997 की सहायकों की सूची में सीधी भर्ती के चार सहायकों को वर्ष 2004 की नायब तहसीलदारों की सूची में ही शामिल कर लिया गया है।

- सीधे भर्ती किए गए लोगों के साथ प्रमोटी एम. कालीमुथु की तुलना नीचे दी गई है:

1. वी. भास्करन - वर्ष 1997 में सीधी भर्ती से सहायक

2. आर. मंगला राम सुब्रमण्यम - वर्ष 1997 में सीधी भर्ती सहायक

3. एन. नूरजहाँ बेगम - वर्ष 1997 में सीधी भर्ती सहायक

4. एम. परमेश्वरी - वर्ष 1997 में सीधी भर्ती सहायक

5. एम. कालीमुथु - वर्ष 1984 में प्रमोटी असिस्टेंट।

- ऐसी ही स्थिति तमिलनाडु के बाकी जिलों में भी है।

12. तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 26.2.1997 द्वारा विवादित नियम को रद्द कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.9.2005 के आक्षेपित निर्णय द्वारा उस निर्णय को पलट दिया और इसलिए यह अपील विशेष अनुमति द्वारा दी गई।

13. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार सीधे भर्ती किए गए सहायकों और पदोन्नत सहायकों को सहायकों के एक कैडर में एकीकृत कर दिया जाता है, तो आगे पदोन्नति के उद्देश्य से उप-तहसीलदार के रूप में वर्गीकरण की अनुमति नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि पदोन्नत सहायकों में से कई ऐसे हैं जिनके पास स्नातक और यहां तक कि स्नातकोत्तर की योग्यता है और उन्होंने सीधे भर्ती किए गए सहायकों की तुलना में लंबी अवधि के लिए सहायकों के कैडर में एक ही तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।इसलिए, उन्होंने कहा कि सभी स्नातक सहायकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, भले ही वे पदोन्नत हों या सीधी भर्ती से आए हों, उन्हें उप-तहसीलदार के रूप में पदोन्नति पर विचार

किया जाना चाहिए।हम इस निवेदन से सहमत हैं।

14. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सीधे भर्ती किए गए सहायकों के साथ अधिमान्य व्यवहार उचित था क्योंकि पूर्ववर्ती परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षकों को, जिनकी जगह अब सीधे भर्ती किए गए सहायकों (अपर डिवीजन क्लर्क) ने ले लिया है, ऐसे अधिमान्य व्यवहार का आनंद लेते थे।अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस तर्क का खंडन किया है, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि यह कहना सही नहीं है कि परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षकों को प्रासंगिक नियम 8ए के बाद से अधिमान्य उपचार का आनंद मिला, जो तमिलनाडु के पूर्ववर्ती अनुबंध VIII में परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षकों से संबंधित था। मंत्रिस्तरीय सेवाओं में केवल यह कहा गया है कि किसी भी वर्ष परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षकों के रूप में भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वर्ष के दौरान राजस्व विभाग में नियुक्त सहायकों की सूची में पहले तय की जाएगी।इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षकों को उसी वर्ष के अन्य सहायकों की तुलना में केवल सहायकों की सूची में ही वरिष्ठता दी गई थी, न कि उप-तहसीलदारों की सूची में।

15. हमारी राय में इस विवाद का फैसला करना जरूरी नहीं है क्योंकि इससे इस मामले के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

16. संशोधन दिनांक 7.2.1995 द्वारा, सीधी भर्ती वाले सहायक जो 5

साल की सेवा पूरी करते हैं और कुछ अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें अपने वरिष्ठों जो पदोन्नत सहायक हैं, के ऊपर उप तहसीलदार के रूप में पदोन्नति के लिए अनुमोदित सूचीमें रखा जाता है।दलील दी गई है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

17. उत्तरदाताओं की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि सीधे भर्ती किए गए सहायकों को प्राथमिकता देने का तर्क यह था कि उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक थी, जबकि पदोन्नत लोगों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट (एसएसएलसी) थी। वे कनिष्ठ सहायक के रूप में शामिल हुए।इसलिए यह आरोप लगाया गया कि डिग्री के साथ सीधे भर्ती किए गए औसत सहायक, एसएसएलसी वाले औसत कनिष्ठ सहायकों की तुलना में बौद्धिक रूप से बेहतर होते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि सीधे भर्ती किए गए सहायकों को पांच साल के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

18. जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पदोन्नत लोगों को भी सीधे भर्ती किए गए लोगों के समान अनुभव प्राप्त हुआ है, और वास्तव में सीधे भर्ती किए गए लोगों की तुलना में पदोन्नत लोगों के पास आमतौर पर अधिक लंबा अनुभव होता है।इसलिए यह पदोन्नतियों के खिलाफ भेदभाव का वैध आधार नहीं हो सकता।

19. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में

पदोन्नत लोगों में से कई कनिष्ठ सहायक के रूप में शामिल होने के बाद भी स्नातक या स्नातकोत्तर थे, और कुछ कनिष्ठ सहायक के रूप में शामिल होनेके बाद स्नातक या स्नातकोत्तर बन गए।इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन स्नातकों/स्नातकोत्तरों को सीधी भर्ती वाले लोगों की तुलना में समानता का व्यवहार देने से इनकार करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।हम इस तर्क से सहमत हैं.यदि पदोन्नत सहायक भी स्नातक है तो उसके खिलाफ भेदभाव का कोई वैध आधार नहीं है, और उसे सीधे भर्ती किए गए सहायक के बराबर माना जाना चाहिए।

20. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 5(एफ) की ओर आकर्षित किया जो इस प्रकार है:

> "सूची तैयार करते समय, चयन प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, तहसीलदार या उप-तहसीलदार के रूप में नियुक्ति के लिए उसके द्वारा चुने गए व्यक्तियों के नामों को उसके द्वारा तय की गई वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करेगा, जो योग्यता, क्षमता पर आधारित होगा। और वरिष्ठता।"

उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित संशोधन उपरोक्त नियम को स्पष्ट रूप से निरस्त किए बिना व्यावहारिक रूप से रद्द कर देता है।

21. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में कहा है (पैरा के अनुसार)।

22) कि एक स्नातक को एक गैर-स्नातक के बराबर नहीं कहा जा सकता है, और उस तर्क पर उच्च न्यायालय ने लागू नियम की वैधता को बरकरार रखा है।

22. हमारी राय में, प्रतिवादी और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समान तर्क के अनुसार, एक पदोन्नत सहायक जो स्नातक भी है, को सीधी भर्ती वाले लोगों के बराबर रखा जाना चाहिए क्योंकि उसके पास भी एक डिग्री है।हमारी राय में, हमें विवादित संशोधन को पढ़ना होगा और इसे उन पदोन्नत सहायकों पर लागू नहीं करना होगा जो स्नातक/स्नातकोत्तर भी हैं।दूसरे शब्दों में, विवादित संशोधन केवल उप-तहसीलदार के रूप में पदोन्नति के उद्देश्य से सीधे भर्ती किए गए लोगों को उन पदोन्नत सहायकों से ऊपर रखने में सक्षम बनाएगा जो गैर-स्नातक हैं।

23. यह सच है किजम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य, एआईआर 1974 एससी 1 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि यद्यपि सीधे और पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को सहायक इंजीनियरों के एक सामान्य वर्ग में एकीकृत किया गया था, उन्हें कार्यकारी इंजीनियरों के कैडर में पदोन्नति के उद्देश्य से, आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता का.हालांकि मोहम्मद

सुजात अली और अन्य बनाम भारत संघ, एआईआर 1974 एससी 1631 में, इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने त्रिलोकी नाथ खोसा के मामले (सुप्रा) में निर्धारित नियम को योग्य ठहराया और कहा कि उच्च पद पर पदोन्नति के लिए,उच्च पद के कर्तव्यों या जिम्मेदारियों की प्रकृतिसे बाध्य न होकर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभावसंविधान के अनुछेद का उलंघन होगा।

24. रूप चंद अदलखा और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य, एआईआर 1989 एससी 307 में, इस न्यायालय ने टीएन खोसा के मामले (सुप्रा) और मोहम्मद पर ध्यान देते हुए।शुजात अली का मामला (सुप्रा) पैरा 7 में निम्नानुसार देखा गया है:

> "7. यदि योग्यता में अंतर का कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति के साथ उचित संबंध है, जो पदोन्नति-पद के साथ जुड़े होते हैं, तो उच्च तकनीकी योग्यता रखने वालों के साथ अधिक लाभप्रद व्यवहार होता है वर्गीकरण के सिद्धांत पर वैध ठहराया जा सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां शैक्षणिक योग्यता में अंतर एक वर्ग के उम्मीदवारों को दूसरे के मुकाबले कोई अधिमान्य उपचार देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। वर्गीकरण उचित है या नहीं, यह होना ही चाहिए। इसलिए, आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों

और प्रासंगिक समय पर प्राप्त परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब राज्य दो स्रोतों के बीच वर्गीकरण करता है, जब तक कि वर्गीकरण का दोष उसके चेहरे पर बड़ा न हो, वर्गीकरण पर हमला करने वाले व्यक्ति को दिखाना होगा यह अनुचित है और अनुच्छेद का उल्लंघन है।

14. सभी भेदों या योग्यताओं, या नौकरी-आवश्यकताओं के बावजूद सभी वर्गों के कर्मचारियों के बीच एक लकड़ी की समानता न तो संवैधानिक रूप से मजबूर है और न ही व्यावहारिक रूप से सार्थक है।यह न्यायालयमहाप्रबंधक में, दक्षिण मध्य रेलवे बनाम। ए. वी. आर. सिद्धांत,, (1974) 3 एससी 207 पृष्ठ पर।214 : (एआईआर 1974 एससी 1755 पृष्ठ 1760 पर देखा गया:

"...योग्यता, नौकरी केप्रकार, जिम्मेदारी की प्रकृति और कर्मचारियों के प्रदर्शन की परवाह किए बिना सभी वर्गों के कर्मचारियों के बीच लकड़ी की समानता का इरादा नहीं है, न ही यह व्यावहारिक है यदि प्रशासन चलाना है। वास्तव में, का रखरखावऐसी 'वर्गहीन' और विवेकहीन 'समानता', जहां वास्तव में, स्पष्ट असमानताएं और समझदार अंतर मौजूद हैं, इसकी व्यावहारिक सामग्री की गारंटी से वंचित

कर देगी। कारण, कार्यकारी व्यावहारिकता और अनुभव के आधार पर व्यापक वर्गीकरण जिसका दक्षता की उपलब्धि से सीधा संबंध है प्रशासन में, अनुमति है..."

25. वर्तमान मामले में, सीधे भर्ती किए गए सहायकों और पदोन्नत सहायकों दोनों को सहायकों के एक कैडर में एकीकृत किया गया है।इसमें कोई संदेह नहीं है, पदोन्नति के लिए आगे के वर्गीकरण के लिए इस एकीकरण के बाद भी उच्च शैक्षणिक योग्यता संभवतः एक तर्कसंगत आधार हो सकती है, लेकिन हमारी राय में निश्चित रूप से सीधे भर्ती किए गए और उन पदोन्नत सहायकों के बीच कोई और वर्गीकरण नहीं हो सकता है, जिन्होंने स्नातक योग्यता हासिल की है, चाहे वह शामिल होने से पहले हो। कनिष्ठ सहायक या उसके बाद।एक बार जब कोई पदोन्नत व्यक्ति स्नातक हो जाता है तो हम सीधे भर्ती किए गए लोगों की तुलना में उसके खिलाफ भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार नहीं देख पाते हैं।

26. गैर-स्नातक पदोन्नत सहायकों के संबंध में, हमारी राय है कि आम तौर पर यह राज्य सरकार को तय करना है कि क्या उनकी योग्यता का पदोन्नति पद के साथ जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति के साथ उचित संबंध है या नहीं।नायब तहसीलदार.यह सच है कि जैसा कि रूप चंद अदलखा के मामले (सुप्रा) में देखा गया है, ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां शैक्षणिक योग्यता में अंतर एक वर्ग के उम्मीदवारों को दूसरे के

मुकाबले कोई अधिमान्य उपचार देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, और क्या वर्गीकरण इसलिए, यह उचित है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और प्रासंगिक समय पर प्राप्त परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए।हालाँकि, यह सवाल कि क्या शैक्षिक योग्यता में अंतर एक वर्ग के उम्मीदवारों को दूसरे के मुकाबले अधिमान्य उपचार देने के लिए पर्याप्त है, हमारी राय में इसे निर्णय लेने के लिए आमतौर पर कार्यकारी अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।कार्यकारी अधिकारियों के पास प्रशासनिक मामलों में विशेषज्ञता है, और इस न्यायालय के लिए उनके निर्णयों पर अपील करना आम तौर पर उचित नहीं है जब तक कि यह पूरी तरह से मनमाना या चौंकाने वाला न हो।क्या स्नातक की डिग्री गैर-स्नातकों की तुलना में पदोन्नति के लिए वर्गीकरण के लिए पर्याप्त आधार है, और क्या इस तरह के वर्गीकरण का उप-तहसीलदार के कर्तव्यों की प्रकृति से तर्कसंगत संबंध है, हमारी राय में, राज्य सरकार को निर्णय लेना है, और कोर्ट नहीं.इसलिए, हम विवादित नियम की वैधता को इस हद तक बरकरार रखते हैं कि यह सीधे भर्ती किए गए सहायकों को गैर-स्नातक पदोन्नत सहायकों की तुलना में प्राथमिकता देता है।

27. हालाँकि, हम उन पदोन्नत सहायकों जो स्नातक हैं, पर सीधी भर्ती से आने वालों को प्राथमिकता देने के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा मांगे गए भेद का मूल आधार यह है

कि सीधी भर्ती वाले स्नातक हैं और इसलिए बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हैं। गैर स्नातकों के लिए.इसलिए हमें संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होने से बचाने के लिए विवादित नियम को पढ़ना होगा।

28. यह सर्वविदित है कि किसी वैधानिक प्रावधान को असंवैधानिकता के दोष से बचाने के लिए कभी-कभी क़ानून की प्रतिबंधित या विस्तारित व्याख्या देनी पड़ती है।ऐसा इसलिए है क्योंकि यह व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी क़ानून को असंवैधानिक होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।यदि एक व्याख्या करने पर क़ानून असंवैधानिक हो जाता है और दूसरी व्याख्या करने पर वह संवैधानिक हो जाता है, तो न्यायालय को बाद वाली व्याख्या को इस आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए कि विधानमंडल का इरादा अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने का नहीं है।

29. कभी-कभी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के लिए वैधानिक प्रावधान को पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकारअधिनियम, एआईआर 1945 एफसी 28 के संबंध में, संघीय न्यायालयहिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 की वैधता पर विचार कर रहा था। अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए, संघीय न्यायालय ने कहा अधिनियम में 'संपत्ति' शब्द का अर्थ 'कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति' के रूप में लगाया गया है। 'संपत्ति' शब्द की

यह प्रतिबंधित व्याख्या दी जानी थी अन्यथा अधिनियम असंवैधानिक हो जाता। इसी प्रकार, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य एआईआर 1962 एससी 955 मामले में, इस न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए का अर्थ लगाना पड़ा, जो राजद्रोह के अपराध से संबंधित है, जो ऐसे व्यक्ति को दंडनीय बनाता है जो `बोलकर या लिखित शब्दों से यासंकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है, या कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष पैदा करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है।'इस न्यायालय ने उपरोक्त शब्दों की एक प्रतिबंधित व्याख्या दी ताकि वे केवल कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी या हिंसा भड़काने के इरादे या प्रवृत्ति वाले कृत्यों पर लागू हों। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करने वाले प्रावधानों से बचने के लिए किया गया था जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

30. इस बिंदु पर कई अन्य निर्णय न्यायमूर्ति जीपी सिंह के वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (7 वां संस्करण 1999 पृष्ठ 414-417) में दिए गए हैं।

31. ऊपर दिए गए कारणों से इन अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और आक्षेपित निर्णय को आंशिक रूप से रद्द कर दिया जाता है, और यह माना जाता है कि जहां तक यह आक्षेपित नियम

उप-तहसीलदार के रूप में पदोन्नति के लिए सीधे भर्ती किए गए सहायकों को पदोन्नति के ऊपर रखता है, केवल उन पर लागू होगा ऐसे प्रमोटी जो गैर-स्नातक हैं, लेकिन यह उन प्रमोटी लोगों पर लागू नहीं है जो स्नातक हैं।

32. अपीलें निस्तारित की जाती हैं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

ऐन.जे अपील निस्तारित की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।